

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 1167/206/आउशि/बजट/20
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/11/2020

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 बावत ।

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्न महाविद्यालयों को उनके द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के अनुक्रम में अराजपत्रित अतिथि विद्वानों को जुलाई,20 से अक्टूबर,20 की अवधि के मानदेय के भुगतान हेतु उनके नाम के समक्ष कॉलम-8 अनुसार राशि का नीचे उल्लेखित मद में आवंटन स्वीकृत किया जाता है:-

स.क्र	महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला	अतिथि विद्वानों की संख्या	माह अगस्त,20 से सितम्बर,20 हेतु आवंटित राशि	माह अक्टूबर,20 हेतु आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4		6	7	8
44-2202-03-104-0101-7043-00000000-42-007							
1	Govt Sanskrit College पत्र क्र. 998 दि. 9.11.20	Gwalior	Gwalior	01	16500	6325	22825
44-2202-03-104-0103-7043-00000000-42-007							
2	Govt Bhanmal Bhimraj Sanskrit College पत्र क्र. 394 दि 11.11.20	Ujjain	Ujjain	02	27200	16320	43520
योग					43700	22645	66345

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि माह जुलाई,20(जुलाई पेड इन अगस्त,20) में 20 दिवस के मान से एवं अक्टूबर,20 (अक्टूबर पेड इन नवम्बर,20) में कार्यदिवस की गणना के आधार पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 1-42/2017/38-1 दिनांक 17.12.19 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1050/245/आउशि/शा-2/2020 दिनांक 01.10.2020 तथा क्रमांक/1223/245/आउशि/शा-2/2020 दिनांक 23.10.2020 में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

3. उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 66,345/- (रुपये छियासठ हजार तीन सौ पैंतालिस मात्र) का आहरण एवं व्यय निम्न बजट शीर्ष (जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के निम्न मांग संख्या से विकलनीय होगा:-

44-2202-03-104-0101-7043-00000000-42-007 - 22,825 /-
44-2202-03-104-0103-7043-00000000-42-007 - 43,520 /-

4. यह सुनिश्चित कर लें कि स्व-वित्तीय योजना अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के लिए की गई नियुक्तियों का भुगतान इसमें शामिल नहीं है। उपरोक्त आवंटित राशि से वास्तविक रूप से उपस्थित कार्यदिवस/कालखण्ड का ही भुगतान सुनिश्चित करें तथा उपस्थिति एवं पढ़ाये गये पीरियडों का अभिलेख संधारित करें।

E:\Budget\Guest_2020-21\letter_guest.doc

LP


- 65 -

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिथि विद्वानों के मानदेय हेतु महाविद्यालयों को उपरोक्तानुसार राशि आवंटित करते हुये संबंधित महाविद्यालय के डीडीओ कोड में उल्लेखित मद व सेगमेंट में अपलोड की गई है। जिन महाविद्यालयों को डी.डी.ओ.कोड आवंटित नहीं है उन महाविद्यालयों को स्वीकृत राशि संबंधित महाविद्यालय के शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के डी.डी.ओ. कोड में सर्वर पर अपलोड की गई है। अतः समस्त महाविद्यालय एवं अग्रणी महाविद्यालय राशि का आहरण भुगतान सुनिश्चित करें।

6. इसमें सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी अतिथि विद्वान को उक्त अवधियों के मानदेय का कोई अतिरिक्त भुगतान अथवा मानदेय की राशि के भुगतान में पुनरावृत्ति न हो। उक्त समस्त भुगतान के पश्चात कोई राशि शेष बचती है तो उसको तत्काल बीसीओ कोड के संबंधित मद में समर्पित किया जावे।

7. मानदेय राशि भुगतान आदि के संबंध में, उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे। किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान एवं व्यय की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


(प्रदीप मरकाम) 12 Nov. 2020


संयुक्त संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 12/11/2020

पृ0क0- 1168 /206/आउशि/बजट/2020
प्रतिलिपि-

1. मान.मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन के निज सचिव, भोपाल।
2. ~~प्रमुख~~ सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. वि.क.अ.(आई.टी.सेल), कार्या.आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पीएल)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश